SHGs के लिये ‘सीड कैपिटल मॉड्यूल’

drishtiias.com/hindi/printpdf/seed-capital-module-for-shgs

प्रिलिम्स के लिये

स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सीड कैपिटल मॉड्यूल,दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

मेन्स के लिये

SHGs के लिये ‘सीड कैपिटल मॉड्यूल’ का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ‘स्वयं सहायता समूहों’ (SHGs) की सहायता के लिये ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ (PMFME) के तहत ‘सीड कैपिटल मॉड्यूल’ लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - इसे **‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’** (DAY-NULM) के ‘प्रबंधन सूचना प्रणाली’ पोर्टल पर भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रहे शहरी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ‘सीड कैपिटल’ सहायता के लिये लॉन्च किया गया था।
  - ‘सीड कैपिटल’ सहायता प्राप्त करने के लिये स्वयं सहायता समूहों द्वारा ‘सीड कैपिटल’ पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
    - सीड कैपिटल एक व्यवसाय या नए उत्पाद के लिये विचार विकसित करने हेतु जुटाई गई धनराशि होती है।
  - छोटे उपकरणों और कार्यशील पूंजी से खरीद हेतु सीड कैपिटल का लाभ उठाने के लिये स्वयं सहायता समूहों को ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन’ योजना के विषय में सूचित जाएगा।

- **PMFME योजना**
    - यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिसे **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के तहत शुरू किया गया था।
    - इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा **किसान उत्पादक संगठनों,** स्वयं सहायता समूहों व उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है।
    - 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता करने की परिकल्पना की गई है।
- **PMFME योजना के तहत लाभ:**
    - प्रति एसएचजी सदस्य 40,000 रुपए की पूंजी सहायता।
    - 10 लाख रुपये की सीमा के साथ 35% तक पूंजी निवेश के लिये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
    - साझा बुनियादी अवसंरचना की स्थापना के लिये 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।
    - DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिये हैंडहोल्डिंग समर्थन।
    - क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहायता।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

- यह वर्ष 2014 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीबों का उत्थान करना है।
- इसके लक्षित लाभार्थी शहरी गरीब (स्ट्रीट वेंडर, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, बेघर, कूड़ा बीनने वाले), बेरोज़गार और विकलांग हैं। यह इन लोगों को कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार प्रदान करता है।

    यह शहरी गरीबों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिये 5 से 7 प्रतिशत की दर से 2 लाख रुपए की ब्याज़ सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपए की ब्याज़ सब्सिडी प्रदान करता है।

स्रोत: पीआईबी